न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—296/2017/223 (2017/00296)

1. सुरेश कुमार पुत्र रामकिशन, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम आलोली, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
2. पृथ्वीराज सिंह पुत्र रूघनाथ सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम बीरवाड़ा, तह0 केकड़ी जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. महावीर पुत्र हजारी, जाति खटीक,
2. किशन साहू पुत्र जवारा, जाति तेली,
3. सुरेश पुत्र जगदीश शर्मा, जाति ब्राहम्ण
4. लक्ष्मण पुत्र गुलाब, जाति कालबेलिया,

समस्त निवासी ग्राम खवास, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 16.6.2017 अंतर्गत वाद संख्या 47/2013.

उपस्थितः—

1. श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री मंगलाराम चौधरी चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 4 .
3. रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 28.10.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.6.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांटस ने प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2526/4428 रकबा 0.48 है0 खसरा संख्या 2525 रकबा 0.04 है0 वाके ग्राम खवास, पटवार हल्का खवास, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खवास, तह0 केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है । उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण/अपीलांटस की संयुक्त खरीदशुदा खातेदारी काश्तकारी की आराजी है जिस पर वादीगण क्रय दिनांक से काबिज काश्त चले आ रहे है । प्रतिवादीगण आये दिन बिना किसी अधिकारिता के वादीगण की भूमि पर दखल अंदाजी उत्पन्न करते है एवं वादगस्त आराजी पर जबरन कब्जा करने की गरज से कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करते है । अतः वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने

निर्णय व डिक्री दिनांक 16.6.2017 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद स्वीकार कर निर्णय पारित किया कि वादीगण/प्रतिवादीगण को एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलदांजी न करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व संपूर्ण दस्तावेज को अवलोकन किये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों व मान0 उच्च न्यायालयों द्वारा पारित नजीरों का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण को एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलदांजी न करने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा से अधी0न्याया0 ने पाबंद किया है जो विधिविरूद्ध है क्योंकि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण का कोई काउन्टर क्लेम नहीं था । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय से प्रतिवादीगण को वादीगण की आराजी को खुदबुर्द करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी है । अधी0न्याया0 के निर्णय की आड़ में रेस्पो0 अपीलांटस की खातेदारी आराजी में हस्तक्षेप कर महरूम करने पर आमादा है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय अपीलांट को पाबंद करने की हद तक निरस्त किया जाकर निर्णय को दुरूस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1996 पेज 100 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 4 ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् है । उक्त प्रकरण का न्याय आपके द्वार कैम्प में लोक अदालत की भावना से दोनों पक्षों की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत् आदेश है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । विवादित भूमि के संबंध में पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट द्वारा विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है तथा काफी पुराने पेड़ खड़े है । अपीलांट अजनबी क्रेता है । अपीलांट ने जिस आवंटी से भूमि क्रय की है उसका भी विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नही था । विवादित भूमि पर रेस्पो0 का कब्जा काश्त है । इसलिये बिना कब्जे काश्त के धारा 188 के तहत वाद नहीं चल सकता है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर जवाब पेश तत्पश्चात् पत्रावली वादीगण की साक्ष्य में विचाराधीन रहने पर वादीगण को साक्ष्य हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया । वादीगण द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर पत्रावली प्रतिवादीगण की साक्ष्य में विचाराधीन थी किन्तु इससे पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को 16.6.2017 लोक अदालत न्याय आपके द्वार में रखकर वाद को सरसरी तौर पर निर्णित कर दिया । जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत हो चुका था तथा वादीगण द्वारा साक्ष्य पेश की जा चुकी थी तथा पत्रावली प्रतिवादीगण की साक्ष्य में विचाराधीन थी तो अधी0न्याया0 को प्रतिवादीगण की साक्ष्य उपरांत प्रकरण में वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने सरसरी तौर

पर वाद को निर्णित कर उभयपक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने में विधिक त्रुटि कारित की है । उपरोक्त विवेचनानुसार अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.6.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर वादपत्र में आवश्यक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 28.10.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर